



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259213  
CG-DL-E-06122024-259213

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946

No. 324]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2024

संख्या आरटी/25035/62/2012/आरएस—भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2012, एस राजसीकरण बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 29 नवंबर, 2024 के आदेश के अनुपालन में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 25035 /62 / 2012-आरएस, दिनांक 31 जनवरी, 2014 के माध्यम से अधिसूचित और अधिसूचना संख्या आरटी/25035 /62 / 2012-आरएस, दिनांक 31 जनवरी, 2020 के माध्यम से संशोधित सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति की संरचना को 1 दिसंबर, 2024 से एतद्वारा निम्नानुसार आगे और संशोधित की जाती है :

(i) श्री संजय मित्रा, पूर्व रक्षा सचिव, जिन्होंने सदस्य बने रहने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, के स्थान पर श्री संजय बंदोपाध्याय, आईएएस (सेवानिवृत्त) को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।

2. समिति न्यायालय की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22 अप्रैल, 2014 द्वारा यथानिर्देशित कार्रवाई करेगी।

3. नये सदस्य का पारिश्रमिक और पूर्वपेक्षाएं संबंधित व्यक्ति के परामर्श से तथा प्रचलित मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी।

कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Road Safety)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2024

**No. RT/25035/62/2012/RS**—In pursuance of the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 29<sup>th</sup> November, 2024 in Writ Petition (Civil) No. 295/2012, S. Rajaseekaran Vs. Union of India and Others, composition of the Supreme Court Committee on Road Safety notified by the Ministry of Road Transport & Highways vide Notification No. 25035/62/2012-RS dated 31<sup>st</sup> January, 2014 and modified vide Notification No. RT/25035/62/2012-RS dated 31<sup>st</sup> January, 2020 is hereby further modified as under with effect from 1<sup>st</sup> December, 2024:

- (i) Shri Sanjay Bandopadhyaya, IAS (Retired) as Member in place of Shri Sanjay Mitra, former Defence Secretary, who has expressed his inability to continue as Member.
2. The Committee will, on behalf of the Court, undertake action as directed by the Hon'ble Supreme Court vide its Order dated 22<sup>nd</sup> April, 2014.
3. The remuneration and prerequisites of the new Member will be fixed in consultation with the individual concerned and in accordance with the prevailing norms.

KAMLESH CHATURVEDI, Jt. Secy.